संख्या- 116 /2020/1752/24-1-20-68(बजट)/2018

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में पी0एफ0सी0 से पारेषण कार्यो की अवस्थापना योजना हेतु लिए गये मध्यकालीन ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1728-एफ0एम0/वि0प्र0-2/विभागीय बजट-2019-382, दिनांक 07 दिसम्बर,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा विभाग के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2801-05-800-18-20 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 77,91,96,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ इक्यांनवे लाख छियांनवे हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 41,40,86,000/- (रूपये इक्तालिस करोड़ चालिस लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 36,51,10,000/- (रूपये छत्तीस करोड़ इक्यावन लाख दस हजार मात्र) में से दिनांक 15 जनवरी, 2021 को पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 16,04,37,000/- (रूपये सोलह करोड़ चार लाख सैंतीस हजार मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर देय ब्याज के भुगतान हेतु किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-18- पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी -20- सहायता अनुदान - सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 268 /दस-2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 116 /2020/1750(1)/24-1-20, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in